भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
उपभोक्ता मामले विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4007
जिसका उत्तर बुधवार, 12 अगस्त, 2026 को दिया जाएगा

मूल्य स्थिरीकरण निधि की धनराशि में कमी

4007. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मूल्य स्थिरीकरण निधि (पीएसएफ) के अंतर्गत शेष धनराशि तेज़ी से कम हुई है और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;
(ख) क्या पीएसएफ अब अपनी प्रचालनगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बजट सहायता के बजाय बिक्री से मिली धनराशि पर अधिक निर्भर हो रहा है और यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों में बजट आवंटन और बिक्री से मिली धनराशि से किए गए व्यय का वर्षवार ब्यौरा क्या है;
(ग) सोलहवें वित्त आयोग के चक्र के अंतर्गत वित्त व्यय समिति द्वारा मूल्यांकन के लिए प्रस्तावित पीएसएफ परिचालनों के लिए मध्यम-अवधि की वित्तीय योजना रूपरेखा की वर्तमान स्थिति क्या है और इसके अंतिम रूप लेने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने प्याज और दालों की खरीद सहित पीएसएफ परिचालनों से जुड़े वित्तीय जोखिम का आकलन किया है और विशेषकर तब, जब बिक्री से मिली धनराशि अपेक्षा से कम हो; और
(ङ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा धनराशि के सुदृढ़ीकरण और भविष्य में पर्याप्त वित्तपोषण वाले मूल्य को स्थिर करने वाले ऐसे उपायों को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क): जी, नहीं। मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के अंतर्गत कॉर्पस फंड एक आवर्ती निधि है और इसमें शेष राशि समय-समय पर भिन्न हो सकती है, जो खरीद और निपटान के रूप में किए गए बाज़ार हस्तक्षेप की मात्रा; और बिक्री से आय की प्राप्ति तथा बजटीय सहायता की राशि पर निर्भर करती है। चूंकि पीएसएफ कॉर्पस कोष का उपयोग बफर स्टॉक

बनाने के लिए किया जाता है और बिक्री से प्राप्त आय को वापस कोष में जमा कर दिया जाता है, इसलिए आवर्ती निधि तंत्र के तहत फंड को स्टॉक में और स्टॉक को फंड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।

(ख) : जी, नहीं। पीएसएफ के तहत वार्षिक परिचालन आवश्यकताएं बाज़ार की स्थिति और आवश्यक हस्तक्षेप की मात्रा पर निर्भर करती हैं। वर्ष के दौरान संभावित बिक्री से आय की प्राप्ति और बाज़ार हस्तक्षेप की मात्रा को ध्यान में रखते हुए, पीएसएफ के तहत पर्याप्त वार्षिक बजटीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग): व्यय विभाग को प्रस्तुत 16वें वित्त आयोग चक्र के व्यय वित्त समिति ज्ञापन में प्रस्तावित वार्षिक बजटीय सहायता निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	**प्रस्तावित वार्षिक बजटीय सहायता (करोड़ रुपए)**
2026-27	4,319
2027-28	2,457
2028-29	2,809
2029-30	2,972
2030-31	3,261
कुल	**15,818**

(घ) और (ङ): सरकार बफर के लिए दालों और प्याज की खरीद जैसे बाजार हस्तक्षेपों की आवश्यकताओं को पूरा करने और बफर से स्टॉक के निपटान के बाद कॉर्पस में जमा होने वाली बिक्री से प्राप्त आय की राशि के लिए पीएसएफ के तहत फंड की स्थिति की निरंतर निगरानी करती है। आवर्ती कॉर्पस निधि तंत्र और नियमित बजटीय सहायता के परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करती है। सरकार पीएसएफ संचालन के लिए पर्याप्त निधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वित्तीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने और जस्ट-इन-टाइम व्यय तंत्र को लागू करने के लिए, पीएसएफ स्कीम को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के अंतर्गत लाया गया है, जिसे आगे डिजीगॉव सिस्टम - स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कोष प्रबंधन प्रणाली - के साथ एकीकृत किया गया है। कोष प्रबंधन के अलावा, डिजीगॉव सिस्टम का उपयोग बफर स्टॉक की ट्रैकिंग, निपटान और बिक्री से प्राप्त आय को कॉर्पस में जमा करने के लिए किया जा रहा है।
